[Mr. Deputy Speaker]

Clause 2 to 20 were added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR DEPUTY-SPEAKER Now, the hon. Minister to move 'That the Bill be passed'.

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT SHRI VEERENDRA PATIL): I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.08 hrs.

WILD LIFE (PROTECTION) AMENDMENT BILL

MR DEPUTY-SPEAKER: Now we take up the next item.

Shri R. V. Swaminathan to move on behalf of Rao Birendra Singh.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): Sir, I beg to move

"That the Bill to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972, be taken into consideration."

MR DEPUTY-SPEAKER: You may please speak on the Bill.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: The Wild Life (Protection) Act 1972 (53 of 1972) provides for the protection of wild animals and birds and for matters connected therewith or ancillary thereto.

Under the present scheme of the aforesaid Act, wild animals specified in Schedule I of the Act cannot be hunted by any person except as provided in Sections 11 and 12 for specific purposes.

There is no provision at present for permitting capture and translocation of wild animals for scientific management which may for instance be necessary in the case of elephants, for their population management or for introduction in alternative, suitables habitat of endangered species like the Great Indian Rhinoceros and the Asiatic Lion.

To achieve this purpose, it is necessary to suitably amend section 12 of the said Act with the stipulation that in the case of any wild animal specified in Schedule I, the prior approval of the Central Government, and in the case of other wild animals, the prior approval of the State Government, would be necessary.

Section 44 of the Act relates to grant of licences for carrying on business, in trophy and animal articles and the time within which applications for such licences may be made has been specified in subsection (3) of this section as 15 days from the commencement of the principal Act.

As a result, no one can now apply for licences for carrying on business in trophy and animal articles. As such, persons who get in possession of trophy and animal articles, are constrained to carry on business with respect thereto, in a clandestine manner. It is therefore proposed to omit the time-limit of 15 days provided in sub-section (3) of 5 section 41.

16.09 hrs.

(SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*).

At the same time it is also proposed to spell out expressly the more important guidelines, which should be followed, in granting licences under the section and confer power on the Central Government to specify by rules other guidelines.

The Bill seeks to achieve the above objects.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill to amend the wild life (protection) Act, 1972, be taken into consideration."

There are some amendments by Mr R. L. P. Varma and Mr. Ram Singh Yadav, They are not here now in the House.

Now, Prof. Ajit Kumar Mehta may speak.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं विधेयक के घोषित उद्देश्य, जिसमें कहा गया है :—

"There is no provision at present for permitting capture and translocation of wild animals for scientific management, which may for instance, be necessary in the case of elephants for their population management or for introduction in alternative suitable habital of endangered species like the great Indian Rhinoceros and the Asiatic Lion".

आदि का स्वागत करता हूं । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक पहले लाया जाना चाहिये था । बढ़ते हुए शिकार और प्रतिकूल वातावरण के कारण देश में वन्य पशुओं की संख्या और विशेषकर बाघों की संख्या में तेजी से ह्रास हो रहा है । हम बाघ को लें, 1930 में इनकी संख्या 40 हजार थी, 1969 में 3 हजार रह गई और 1972 में केवल 1826 रह गई । यही हाल दूसरी जाति के वन्य पशुओं का भी है । गैंडे और शेर समाप्त हो रहे हैं, उनकी रक्षा तथा उनकी जाति को अनुकूल वातावरण में सुरक्षा प्रदान करने के लिये इस विधेयक का जहां स्वागत है, वहां बड़ी शंका केवल एक ही है कि क्या केवल कानून बना देने से ही उनको पर्याप्त सुरक्षा मिल जायेगी ?

उपाय ऐसा होना चाहिये कि वन्य पशुओं को सुरक्षा भी मिले और साथ ही साथ पास की आबादी भी सुरक्षित रहे । इस संदर्भ में अब तक के लिये गये निर्णय, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत जल्दबाजी में लिये गये हैं । वन्य पशुओं की सुरक्षा के साथ ही साथ पास की आबादी की सुरक्षा का भी जो ध्यान रखा जाना चाहिये था, वह नहीं रखा गया है ।

पास की आबादी जो अपनी आजीविका के लिये वन की अन्य सम्पदाओं पर निर्भर करती रही है, उसका अभी तक कोई ख्याल नहीं किया गया है । मेरा कहना है कि वन्य पशुओं की सुरक्षा के साथ-साथ आबादी की सुरक्षा और उनके लिये वैकल्पिक आजीविका होनी चाहिये । वनों में लोग अपनी आजीविका की जरूरतों के लिये जाते रहे हैं, उनका वहां जाना रोका भी जा सकता है, लेकिन उनके लिये वैकल्पिक आजीविका की व्यवस्था भी होनी चाहिये थी ।

पास की आबादी के लोगों को इंधन व झोंपड़ी की छत के लिये लकड़ी और पशुओं के चारे के लिये वन पर ही निर्भर रहना पड़ता है । जंगल में पाये जाने वाले मधु-मक्खी के छत्तों पर सैकड़ों परिवार निर्भर करते हैं जब तक उन आश्रितों के लिये वैकल्पिक उपाय नहीं किये जायेंगे, ये लोग रोज ही जंगल में जायेंगे और आयेंगे और सामना हो जाने पर आत्मरक्षार्थ वन्य पशुओं को मारेंगे ही, चाहे आप कानून कुछ भी बना लीजिये । कमो-बेश यही स्थिति जिम कार्बेट पार्क, कान्हा नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क में है । यदि सरकार इन लोगों के निवास के लिए पलानीदार टीन की चादरों, जलावन के लिए सामुदायिक गोबर गैस संयंत्र और स्थायी चरागाह की व्यवस्था करे, तो वन्य पशुओं के बीच लोगों का आना-जाना वैसे ही कम हो जाएगा । इसके अलावा ऐसे पार्क के चारों ओर खाई भी खुदवाई जा सकती है, जिससे संरक्षित वन्य पशु उस घेरे में ही रहें और खाई खुदवाने से वहां के स्थानीय नागरिकों को रोजगार भी उपलब्ध होगा, जो काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत लाया जा सकता है ।

वन्य पशुओं के निवास के निकट बार-बार आने-जाने से वे पास के गन्ने के खेतों में अपना निवास बना लेते हैं । इसलिए गन्ने की कटाई के समय मजदूर बाघ या ऐसे वन्य पशुओं के द्वारा मारे जाते हैं, जिससे उनके

[प्रो० अजीत कुमार मेहता]

नरभक्षी बन जाने की सम्भावना रहती है। ऐसे कई बाघ नरभक्षी हुए भी हैं, जो इन पार्कों के निकट गन्ने के खेत में अपना निवास बनाए हुए थे। ऐसे नरभक्षियों से पास की आबादी को बचाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

यह एक विडम्बना ही है कि अगर कोई आदमी किसी बाघ की हत्या कर दे—उदाहरण के लिए बाघ ही लें—,तो उसे दस साल की सजा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकती है। लेकिन अगर यही संरक्षित बाघ पासकी आबादी के किसी आदमी की जान ले ले, तो सरकार उसे केवल 5,000 रुपये मुआवजा देती है और वह भी बहुत कतर-व्योंत के साथ।

नस्लों पर एक खतरा और भी है। रायल बंगाल टाईगर अपनी शुद्ध नस्ल के लिए विश्व भर में विख्यात है। दूसरी नस्ल के संसर्ग से उसमें जैविक क्षमता कम होने की सम्भावना है। ऐसी आशंका व्यक्त की जाती है कि दुधवा पार्क में वर्ण-संकर तारा के बच्चे धीरे-धीरे इस नस्ल को संकर बना देंगे। संकर नस्ल के बाघों की प्रजनन शक्ति कम होती है। इसलिए कालांतर में बाघों की संख्या में निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। प्रधान मंत्री ने इस बात की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का का गठन किया था। उसके प्रतिवेदन और सिफारिशों का क्या हुआ, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। संकर नस्ल की तारा बाघिन को दुधवा पार्क में रहने देना एक ऐसा अस्वाभाविक प्रयोग है, जो वास्तव में इस अद्भूत प्राणी और निर्दोष लोगों के साथ जान-बूझ कर खिलवाड़ करना है।

मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह इन सुझावों पर ध्यान दें और पास की आबादी के लोगों को वैकल्पिक स्वयं आजीविका का साधन जुटाएं, जिससे वे स्वंय ही जंगलों में आनाजाना कम कर दें और उनके आने-जाने से वनपशुओं के सामान्य जीवन में जो बाधा पैदा होती है, जिसके कारण वे अपना स्थान बदलने को बाध्य होते हैं, वह स्वतः कम हो जाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल, 1981 जो यहां सदन में प्रस्तुत किया गया है उसके सम्बन्ध में संसद के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बैलेन्स आफ इकौलोजी के बारे में बहुत ज्यादा जोर दिया है और एन्वायरनमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट भी स्थापित किया है और वह डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से फंक्शन कर रहा है। इस एटामिक युग में जबकि मानव हिंसा की ओर बढ़ रहा है, यह महसूस होना कि बिना प्रकृति के हमारा जीवन कोई जीवन नहीं है बल्कि जीवन व्यर्थ है, यह एक बड़ी बात है।

Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the wild life and its habitat which are now imperilled by a combination of adverse factors. Nature-preservation, including wild life must, therefore, receive importance in planning for economic development.

इसी सिद्धांत के आधार पर एन्वायरनमेंन्ट डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना के साथ-साथ हमें एकोनामिक डेवलपमेंट की ओर भी बढ़ना है। जब तक हमारे देश में फारेस्ट नहीं होंगे तब तक फ्लड्स आते रहेंगे। हमारे राजस्थान जैसे डेजर्ट एरिया में तो फेमीन भी आते रहेंगे और फ्लड्स भी आते रहेंगे। यदि फारेस्ट नहीं होंगे तो कोई पक्षी भी नहीं होंगे। सरकार ने हमारे राजस्थान में बाड़मेर और

जैसलमेर में नेशनल डेजर्ट पार्क की जो स्कीम बनाई है उस के अन्तर्गत जो सैंक्चुरी बनाने का निर्णय लिया है वह स्वागतयोग्य है । हमारे जैसलमेर और बाढ़मेर के डेजर्ट में भी ऐसी बर्ड्स है जिनकी सुरक्षा आवश्यक है। हमारे यहां विश्नोई लोग ऐसे होते हैं जोकि हिरणों की रक्षा करते हैं। आज अगर जोधपुर से आगे 20 मील आप जायें तो देखेंगे कि दस हजार हिरणों की रक्षा विश्नोईयों ने की हुई है। फलोदी क्षेत्र में भी आप इसी तरह से पांच हजार हिरणों को पायेंगे। तो आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो कि हिरणों की रक्षा कर रहे हैं, बर्डस की रक्षा कर रहे हैं, कबूतरों की रक्षा कर रहे हैं और तिलोवर की रक्षा कर रहे हैं। इस संबध में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पावर्स ली हैं उनका मैं स्वागत करता हूं सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इसलिए पावर ले रही है ताकि पशुओं और बर्ड्स की रक्षा की जा सके और रक्षा करने के लिए जो कदम उठा रही है वह उचित हैं। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि पेस्टि-साइड्स और इंसेक्टिसाइड्स पर भी आज-कल बहुत जोर दिया जा रहा है खेती करने में, इसलिए इसका भी बहुत खराब असर एनवायरनमेंन्ट पर पड़ता है। इकोलोजी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और जो प्रोडक्शन होता है, चाहे वह अनाज का हो या किसी और चीज का, वह भी इतना स्वादिष्ट नहीं होता है जितना कि पहले होता था। आज मैं यह देखता हूं कि आलू जो है, आज से 20 साल पहले जो आलू होता था, वह बड़ा स्वादिष्ट होता था लेकिन आज वह इतना स्वादिष्ट नहीं है और इसका कारण पेस्टीसाइड्स और इन्सैक्टीसाइड्स हैं। इसलिए इस चीज को भी देखना बहुत आवश्यक है।

"Ecological balance of nature is beginning to be upset—upset in many ways which are irreversible. There has been urbanisation, industrialisation, population growth and increasing deforest."

मैं यह चाहता हूं कि हम जो जनसंख्या पर रोक लगाना चाहते हैं और उस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे जो फोरेस्ट्स हैं, उन के लिए भी हमें पूरी तरह से कोशिश करना है। नेशनल डेजर्ट पार्क के लिए जो बाढ़मेर और जैसलमेर में स्कीम है, उन में सेंक्चुरी स्थापित की जाएं और जोधपुर के अन्दर जू है बल्कि डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर पर सब जगह जू स्थापित करना चाहिए ताकि जनता वहां जा कर उनको देख सके ।

मैंने हिरणों के बारे में पहले बताया है। हिरण उन पार्कों के अन्दर ले जाने की आवश्यकता है आज तो यह स्थिति पैदा हो गई है कि जोधपुर के पास जो हिरण हैं और जो हजारों की संख्या में हैं, वे किसानों का नुकसान कर रहे हैं और लोग यह महसूस करते हैं कि उन को न मारना धर्म है । वहां वे लोग महसूस कर रहे हैं कि हिरण उन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतनी संख्या में हिरण होना उचित नहीं है। इस-लिए मैं ऐसा समझता हूं कि इस नेशनल डेजर्ट पार्क में, उन में सैंक्चुरी में उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिये। उन को वहां पर प्रिजर्व किया जा सकता है ताकि वे लोग जो उनकी रेस्पैक्ट करते हैं, उन को यह विश्वास हो सके कि यहां पर इन हिरणों को ले जाया जा रहा है, वहां पर उनकी सुरक्षा होगी । इस तरह से हजारों की संख्या में आप के हिरण वहां जा सकते हैं और जो नुकसान किसानों को होता है, वह नहीं होगा।

हम ने 1972 में एक काम्प्रीहेंसिव एक्ट बनाया था और उसके बाद हम उस में परिवर्तन कर रहे हैं। ये सब परिवर्तन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे फोरेस्ट्स का एक्सपेंशन हो और

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

हमारे जो पशु-पक्षी हैं, वे इतनी कम संख्या में न हों जिस से एक वैलेंस बिगड़ जाए। हम ने टाइगर के बारे में देखा था कि उनकी संख्या बहुत कम हो रही थी और फिर हम ने उनके बचाने के उपाय किए और टाइगरों को मारना बन्द किया। अब उनकी संख्या दिन व दिन बढ़ रही है। इसलिए पशु और पक्षी कम न हो, जाएं इस के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए और साथ ही साथ इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि इकौलोजीकल वैलेंस कायम रहे। इस वैलेंस को स्थापित करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन हम पुट-अप करें, उनको लागू करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाएं। इस के साथ ही साथ हम इन्वाइरेमेंट भी ठीक रखें क्योंकि इकौलोजीकल वैलेंस कायम कर के और एन्वाइरेमेंट को सही रख कर ही हम आज के वैज्ञानिक युग में जिन्दा रह सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं अन्यथा इस पोल्यूशन की दुनिया में हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत ही सावधान है और सचेत है और इस बात के लिए हम उस की प्रशंसा करते हैं। हमारी प्रधान मंत्री जी भी इसके लिए सचेत हैं और इस के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार के जो कानून आ रहे हैं, फोरेस्ट्स के बारे में और एन्वाइरेमेंट्स के बारे में जो कानून आ रहे हैं, ये हमारी प्रगति के सूचक हैं। नेचर को हम रेस्पैक्ट करें, तो नेचर भी हमारी रैस्पक्ट करेगी और हमारी तरक्की होगी, उन्नति होगी और हम विकास की ओर बढ़ेंगे।

इन शब्दों के साथ, जो एमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। यह सही है कि इस से पूर्व शिक्षा एवं दूसरे प्रदूषण संबंधी कार्य हेतु हंटिंग का परमिट केवल स्थानीय प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं दिया जा सकता था। अब आपने उसके लिए वार्डन को अधिकृत किया है। इसके साथ उन जन्तुओं, जानवरों और वाइल्ड लाईफ के लिए इस अधिनियम के शेड्युल 8 में वर्णित है कि उनका शिकार केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना सम्पन्न नहीं हो सकता है। इस प्रकार से इस अधिनियम की धारा 44 और 63 में आप संशोधन करना चाहते हैं।

मान्यवर, आज कुछ प्रमुख कठिनाइयां हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जो कि राष्ट्रीय पार्क के आस पास में बसे हुए हैं। इन राष्ट्रीय पार्कों के आस पास बसने वालों को जो विशेषाधिकार उन्हें पहले प्राप्त थे अब उनको उन से वंचित कर दिया गया है। मैं जिस पार्लियामेंटरी कांस्ट्रीच्युन्सी अलवर से आता हूं उस में एक टाइगर प्रोजेक्ट है। वह सरिसका टाइगर प्रोजेक्ट एक मशहूर प्रोजेक्ट है। मान्यवर आपको मालूम है कि राजस्थान में जो पहले रियासतें थीं या भूतपूर्व राजा लोग थे, उनके समय में इस तरह के प्रोजेक्ट्स सेंकचुअरीज अभय आरण्य के आसपास बसने वालों किसानों, मजदूरों के लिए पूरा प्रोटेक्शन प्रदान किया गया था। लेकिन आज उनके आस पास रहने वाले या बसने वाले लोगों को विशेष सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। पहले सब से बड़ी सुविधा उन्हें यह प्राप्त थी कि अभय रण्य या गेम्स सेंक्चुरी के आस-पास रहने वाले किसानों के मवेशी उन में चरते थे। उन पर किसी प्रकार की

कोई पाबंदी नहीं थी। आसपास के रहने वाले किसान पेड़ पत्ते, पेड़ों की छाल आदि ले जाते थे और अपने मवेशियों को उन में चरा कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। सूखी लकड़ी इकट्ठा कर के ले जाते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन जब से आप ने सरिसका को राष्ट्रीय पार्क बनाया है या टाइगर प्रोजेक्ट या गेम सेंक्चुरी जो आपकी है उनके आस-पास रहने वालों को इन सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। यह टाइगर प्रोजेक्ट जो कि अलवर में है, एक मशहूर प्रोजेक्ट है। वास्तव में इस में पहले जितना वाइल्ड लाईफ होता था उस से अधिक आज इस में वाइल्ड लाईफ नहीं है। लेकिन आप ने उस के आसपास रहने वालों के लिए बहुत सख्त कानून बनाये हैं। इतने सख्त कानून पहले नहीं थे। आज उसके आसपास रहने वाले किसान और मजदूर परेशान हैं। ऐसी परेशानी उन्हें राजा के राज में भी नहीं थी।

अभी हमारे मुख्य मंत्री जी कुछ दिन पहले वहां पर दौरे पर आये थे। उस समय उनके सामने वहां के किसानों ने बताया था कि प्रोजेक्ट के लोग किस तरह से उन्हें तंग करते हैं। उन किसानों के मवेशियों को जबर्दस्ती बांध लेते हैं और कहते हैं कि यह प्रोहिबिटिड एरिया है। जब तक किसान उनको कुछ खुश नहीं कर पाते तब तक वे मवेशियों को नहीं छोड़ते हैं।

इसके साथ साथ पहले आसपास रहने वालों लोग वहां से सूखी लकड़ी बांध कर ले जाते थे, वहां से मवेशियों के लिए पत्ते ले जाते थे, मवेशियों को वहां चरने के लिए छोड़ देते थे, और दूसरी सुविधाएं उन्हें थी। लेकिन ये सारी सुविधाएं आपने बिना किसी कारण के बंद कर दी हैं। राईट आफ ईजमेंट एक लीगल राईट है। जब तक आप कोई कानून बना कर इस राईट को समाप्त नहीं करते तब तक यह राईट समाप्त नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आदमी हजारों साल से उस में अपने मवेशी चराता था, हजारों साल से सूखी लकड़ी बीन कर लाता था, हजारों साल से दूसरी सुविधाओं का अधिकारी था आप उसको कैसे इस तरह से बंचित कर सकते हैं? अगर वह सिविल कोर्ट में जाए तो क्या उसको उसका राईट आफ ईजमेंट या उसके जो दूसरे कस्टोमरी राईट हैं क्या वे उसको रेस्टोर नहीं कर दिए जायेंगे? इस लिए मैं चाहता हूं कि आप उनको उनके राईट से वंचित न करें और उनके उन राईट्स को रेस्टोर करें जो कि वे पहले एन्जोय करते थे।

आपकी जो टाइगर की सैन्सस होती है, उसके बारे में क्या आपने कभी चेक किया है कि उतने टाइगर वहां हैं। सैन्सस में बता दिया जाता है कि 20 टाइगर हैं या 25 टाइगर हैं। लेकिन अगर आप जा कर देखें तो कोई टाइगर विजिब नहीं होता। वे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या आपके पास उनकी चेकिंग का कोई इन्तजाम है कि जिससे आप यह जान सकें कि निश्चित रूप से आपके वहां पर 25 या 30 टाइगर हैं या कितने टाइगर हैं। कोई डेस्क्रिपशन नहीं है, जो अधिकारी हैं उनकी व्हिम्ज पर सब कुछ डिपेंड करता है, जो मर्जी आती है लिख देते हैं। मैं चाहता हूं कि रजिस्टर मेंटेन हो जिसमें सब डैस्क्रिप्शन हो और लिखा जाए एज क्या है, लम्बाई-चौड़ाई क्या है, शरीर का विवरण क्या है। जब तक अभय अरण्यों में जानवरों की इस तरह की डिटेल्ज नहीं रखी जाएंगी तब तक मैं समझता हूं कि वहां रहने वाले जो अधिकारी हैं उनकी स्वयं की लाभ की ये वस्तुएं बन जाएंगी और आम आदमी जो उसकी उत्सुकता होती हैं इनको देखने की वह उससे वंचित रह जाएगा।

आप यह भी देखें कि आप कौन से युग में रह रहे हैं। यह राजा महाराजाओं का, नवाबों

[श्री राम सिंह यादव]

का युग नहीं है, ग्राम ग्रादमी का युग है। ग्राबादी बढ़ रही है। ग्राप इकोलोजिकल एटमसफीयर बनाए रखने की भी दुहाई देते हैं। बहुत सी स्पीसीज ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट होने जा रही है। ग्रापको यह भी सोचना चाहिये कि जो मानव सृष्टि पर पैदा हुग्रा है, जिस क्षेत्र में वह रहता है, वहां उसकी परवरिश करना, उसकी रक्षा करना, उसको सुविधायें देना, ग्राबादी के लिए उसको जमीन देना यह भी हमारा कर्त्तव्य है, वैलफेयर स्टेट का कर्त्तव्य है। सरिसका के ग्रासपास जो बसे हुए लोग हैं उनकी ग्राबादी बढ़ती है, गांवों की ग्राबादी बढ़ती है तो उसके लिए भी ग्रापको कोई प्रावधान करना चाहिये। ग्रापने गत वर्ष फारेस्ट एक्ट एमेंड करके यह प्रावधान कर दिया कि जब तक केन्द्र से स्वीकृति नहीं ली जाएगी तब तक ग्राप ग्राबादी का एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। ग्राप लाज को रिगोरस करते ग्रा रहे हैं। ग्रापको ह्यूमैनिटी के लिए भी सोचना चाहिये। जानवरों के लिए ग्राप सोचें, खूब सोचें, लेकिन ग्रादमी को भी ग्राप न भूलें। इंसान को ग्राप भूल जाते हैं तो ग्रापका जो प्रमुख कर्त्तव्य है उससे ग्राप विमुख हो जाते हैं। उससे सब का नुकसान होगा। जितनी प्राजेक्ट्स हैं, जितनी सैंक्चुरीज बनी हुई हैं उनके चारों तरफ न तो कोई दीवार बनाई गई हैं ग्रौर न फैंसिंग ही की गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ किसानों के खेतों को ग्रापकी वाइल्ड लाइफ ने, लंगूरों, बन्दरों ने पूरी तरह से बरबाद कर दिया ग्रौर जब उन्होंने उनको रोकना चाहा तो ग्रापके ग्रधिकारियों ने उनके ऊपर मुकदमे बना दिए ग्रौर ग्रखबारों में दे दिया कि लंगूर मार दिए गए हैं, बन्दर मार दिए गए हैं। तालाब गांव के रहने वाले लोगों पर इस कारण से मुकदमे चल रहे हैं। ज्यूडिशियल केसिस हैं इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। कम से कम ग्रापको संवेदनशील तो होना ही चाहिये। जब तक ग्राप स्थानीय लोगों की इच्छाग्रों, उनकी ग्रावश्यकताग्रों को नहीं देखेंगे ग्रौर उनके ग्रनुरूप कानून नहीं बनाएंगे, ग्राचरण नहीं करेंगे तब तक ग्राप उन लोगों के ग्रपने से विमुख करते जाएंगे। उनको ग्राप विमुख कर लेते हैं तो ग्राप कानून किस के लिए बना रहे हैं? मानव के लिए ही तो बना रहे हैं। ग्राप फैंसिंग लगाइये ताकि जानवर निकल कर बाहर न जा सकें ग्रौर किसान की फसलों को बरबाद न कर सकें। दो तीन किलोमीटर बाहर ग्रा कर जंगली जानवर फसल का नुकसान न कर दें, एक दो हजार के बैल को खत्म कर दें, तीन हजार की भैंस को मार डालें ग्रौर उनको बचाने के लिए किसान ग्रगर जानवरों पर हमला करते हैं, टाइगर पर, लंगूर पर हमला करते हैं ग्रौर ग्रपने मवेशियों को छुड़ाते हैं तो वे क्या ग्रन्याय करते हैं ग्रौर क्यों रोजाना उनका चालान ग्रापके ग्रधिकारी करते हैं, क्यों उनके खिलाफ केसिस चलाते हैं। क्यों ग्राप जानवरों को खुला छोड़ते हैं, पांच दस किलोमीटर बाहर जाने देते हैं। टाइगर प्राजेक्ट सरिसका के चारों तरफ फैंसिंग करवाएं, दीवार बनाएं।

वहां पर रहने वाले किसानों, मजदूरों, लकड़हारों ग्रौर दूसरे लोगों के पास ग्रगर जमीन नहीं है तो उनको ग्राप ग्राबादी के लिए ग्रौर काश्त के लिए जमीन दें। कुछ लोग हैं वहां जो पीढ़ियों से बास्केट, छबड़ी बनाने का धंधा करते ग्रा रहे हैं। इनकी हमारे यहां एक कम्युनिटी है जो केवल बास्केट बनाने का काम करती है। ये लोग वहां से हरी लकड़ी, पेड़ों की टहनियां लाते थे ग्रौर बास्केट बनाते थे। हजारों साल से वे ला रहे थे। सरिसका के चारों तरफ कई गांव बसे हुए हैं। उन पर ग्रापने पाबन्दी लगा दी है कि हरी टहनियां वे ला नहीं सकते हैं। जो लोग पीढ़ियों से बसे हुए हैं, जिनका पेशा ही यही है ग्रौर वे हरी टहनियां भी नहीं ला सकते हैं तो ग्रापने जो उनका हैण्डटरी काम है, वह सारा ही खत्म कर दिया है। तो ग्राप क्या इसके बारे में सोचेंगे? उनको लाइसेंस दीजिए या ग्रौर

कोई व्यवस्था कीजिये । आज आपके फोरेस्ट ऐक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट में कोई ऐसा प्रावीजन नहीं है । इसलिए जो लोगों के फोरेस्ट या सैंक्चुअरी में अधिकार थे उनको रेस्टोर कीजिये । और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उद्देश्य से इस बिल को आप लाये हैं उसके साथ-साथ यह भी भावना रहनी चाहिये कि लोगों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखें । इस तरह से पीसमील ये लेजिस्लेशन लाने से कोई लाभ नहीं होगा । आप काम्प्रीहैंसिव तरीके से अमेंडमेंट लायें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं आपके बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री चतुर्भुज (झालावाड़) : मान्यवर, मैं इस बिल का कुछ सुझावों के साथ समर्थन करता हूं अभी हमारे माननीय राम सिंह यादव ने जो सुझाव और व्यवहारिक सुझाव दिए हैं उम पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मंत्री महोदय को तो जंगल का अनुभव नहीं होगा, लेकिन हम लोग जो गांवों में रहते हैं और जंगल के आधा किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं हमें अनुभव है कि गांव और जंगल का क्या संबंध होता है। इस बिल से हमारे जानवरों का संरक्षण नहीं होगा। यह तो हमारी भारतीय संस्कृति और दर्शन में हैं जीव जन्तुओं और प्राणीमात्र की रक्षा करना। यह हमारा दार्शनिक सिद्धांत है । लेकिन बिना सोचे समझे जो कानूनी बन्धन बढ़ाते जा रहे हैं उसका गांव की जनता पर क्या प्रभाव होगा यह आपने कभी सोचा ? गांव हमेशा जंगल से सटे हुए हैं। वहां अनेक समस्यायें हैं । उनके पास गैस सिलेंडर नहीं होता, कोयला नहीं होता, जलाने के लिए और कोई चीज नहीं होती सिवाय लकड़ी के। मवेशी चराने का सिवाय जंगलों के और कोई स्थान नहीं होता। आज जंगल की सीमा आपने गांव के नजदीक तक कर दी है। अगर मवेशी जंगल में जाएगा तो उसका आरोप किसी पर लगाते हैं कि किसान सारे जंगल को बरबाद कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि जंगल का अगर कोई दुशमन है तो जंगल के अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं। आप ब्यूरोक्रेसी की राय पर गांव वालों को न मारिए, बल्कि उनकी सुरक्षा कीजिए गांव का संबंध जंगल से है। आप इस कानून के द्वारा उनका अहित करने जा रहे हैं । आज शेरों की किस्मों के अन्दर जो कमी आई है यह गांव के किसान की वजह से नहीं आयी है। कितने भी किस्म के शेर थे अगर छापे डाले जायें तो वन विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के घरों में आपको उनकी खालें मिलेंगी। गांव के किसान के छप्पर में आपको शेर, गेंडा, हाथी, मगर मच्छ की छाल नहीं मिलेगी। आप ब्यूरोक्रेसी के कहने पर इस बिल को ला रहे हैं। जब यह आर्डिनेंस लाया गया था मैंने उस समय भी विरोध किया था कि आर्डिनेस जल्दी में लाया गया है इसकी व्यापक रूप से लाना चाहिए। आज भी यह विधेयक व्यापक रूप से नहीं लाया गया है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं।

हम जानते हैं जंगल का क्या महत्व है। जंगल का विश्व के अन्दर काफी महत्व है। अगर उसकी रक्षा नहीं की तो प्रकृति का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा और साथ ही मानव भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए मानव और प्रकृति का निकट संबंध है, अभिन्न संबंध है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए ।

1972 का जो ऐक्ट था. . . .

1972 के ऐक्ट में आपने क्या किया ? आज 10 साल के बाद उसमें ज्यादा

[श्री चतुर्भुज]

छूट दी गई है शिकार करने वगैरह की। कौन और किस किस्म का शिकार करेगा, क्या करेगा?

आज मोर पक्षी को मार रहे हैं, कौन मार रहे हैं? यह राष्ट्रीय पक्षी है इसे कौन कम कर रहा है। भेड़ के मेमने जो 40 घंटे का भी नहीं हो पाता है, उसे विदेशों में भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सारी की सारी हत्याएं आप कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है, वह हत्या कर रही है। गौ-हत्या का मामला है, गाय के बच्चों को देख लीजिए, 30 दिन के भी नहीं होते कि उनको विदेशों में बेचा जा रहा है।

सभापति महोदय : वाइल्ड लाइफ का बिल है।

श्री चतुर्भुज : मैं इसको उस से अलग नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज : मैं भटका नहीं हूं यह आपको थोड़ा अखर गया होगा।

सभापति महोदय : वाइल्ड लाइफ पर पर बात कीजिए।

श्री चतुर्भुज : हमारा सारा देश अक्तूबर के महीने में वन-संरक्षण सप्ताह मनाता है। एक हमारी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, वन-संरक्षण संस्था, हमारी भारतीय शाखा की कुमारी रत्नाकर हैं, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि इस देश में 5 करोड़ जीव जन्तु की हत्या हर वक्त होती है। उनकी हत्या कौन करता है।

मैं समझ नहीं पाता कि सारे देश में यह क्यों हो रहा है? राष्ट्रीयता की कमी है, चरित्र की कमी है, अगर सारे व्यक्तियों में हो, वन-अधिकारियों में हो, हमारी गवर्नमेंट में हो, अगर राष्ट्रीय महत्व के रूप में इसको लिया जाये तो इन वनों की सुरक्षा भी हो सकती है और जीव-जन्तुओं की रक्षा भी हो सकती है।

हमारे जंगलों का जो राष्ट्रीय महत्व है, उसके मुताबिक हमारी प्रकृति की तीन ऋतुएं चलती जाती हैं। आज जिस तरह से जंगलों की अवहेलना की जा रही रही है, अगर इस देश की वन-सम्पदा समाप्त हो गई तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। इस वर्षा न होने की वैज्ञानिक घोषणा कर रहे हैं।

पिछले दिनों एक कांड यू० पी० में हुआ। शंकरगढ़ के महाराजा जंगल में जा रहे थे शिकार खेलने के लिए। उनको वहां गोली मार दी गई, वह जज थे और वहीं मर गए। मैं पूछता हूं कि क्यों जा रहे थे शिकार खेलने के लिए? किसी से परमिट लिया था। इतने बड़े व्यक्ति थे, यू० पी० के मुख्यमंत्री के भाई थे, शंकरगढ़ के महाराजा थे। यह सारा क्या हो रहा है और कौन कर रहा है? आप इस तरह के पहलू पर कोई विचार नहीं करते।

मेरे विचार में जितने सामन्तवादी, जागीरदार इस देश में हैं, वह जंगलों के सब से बड़े दुश्मन हैं और इसके बारे में आपको विचार करना पड़ेगा।

मेरा निवेदन है कि जंगल का, जीव-जन्तु का संबंध है। वन रहेंगे तो जीव-जन्तु रहेंगे, जीव-जन्तु रहेंगे तो वन रहेंगे। अगर वन रहेंगे तो प्रकृति रहेगी, प्रकृति रहेगी तो मानव की रक्षा होगी। अगर वन

इस प्रकार से उजड़ते जायेंगे तो जो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जो दवाइयों का भंडार जंगलों से मिलता है वह सब कुछ नहीं मिल पायेगा। ग्राज जितने भी शेर, मगरमच्छ, हाथी, गेंडे, काले हिरण ग्रौर उड़ती हुई गिलैहरियों की किस्में खत्म होती जा रहीं है । इसके पीछे क्या कारण है?

मैं निवेदन करूंगा कि जितने हम कानून के दायरे में बन्धते जा रहे हैं फिर भी वन-प्राणियों की किस्मों में कमी ग्रा रही है, उसका बहुत गहराई से चिन्तन कर व्यापक रूप में ग्रापको बिल लाना पड़ेगा तभी इन वन जन्तुग्रों की रक्षा हो सकेगी। इन्हीं कुछ सुझावों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : सभापति महोदय, मैं वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुग्रा हूं । यह कैसी विडम्बना है कि जहां हमारे देश में मनुष्यों की ग्राबादी बढ़ती चली जा रही है, वहां वन्य प्राणियों की ग्राबादी दिन-प्रति-दिन कम हो रही है । ग्रगस्त, 1981 में भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की स्थाई समिति की बैठक इस बोर्ड की अध्यक्ष, माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, की ग्रध्यक्षता में हुई । इस बैठक में वर्तमान चिड़िया-घरों ग्रौर वन्य प्राणी विहारों के रख-रखाव तथा उनकी बिगड़ती हुई दशा पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई ग्रौर वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को चुस्त बनाने के लिए सिफ़ारिश की गई । इस बोर्ड की स्थाई समिति ने वन्य प्राणी (संरक्षण) ग्रधिनियम को ग्रौर ग्रधिक व्यापक ग्रौर प्रभावी बनाने पर ज़ोर दिया था । समिति ने हाथियों ग्रौर गैंडों की दिन-प्रति-दिन हो रही कमी पर चिन्ता भी प्रकट की थी ग्रौर सरकार से सिफ़ारिश की थी कि इनके संरक्षण के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएं ।

ग्राज़ादी के बाद से वन्य जीव-जन्तुग्रों की संख्या लगातार घट रही है । ग्रब तक हमारे करीब 90 प्रतिशत बड़े जंगली जानवरों, 75 प्रतिशत छोटे जान-वरों ग्रौर 60 प्रतिशत ग्राखेट पक्षियों का सफाया हो चुका है ।

हमारे देश में हर वर्ष ग्रक्तूबर में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है । इस दौरान वन्य प्राणियों पर विचारविमर्श होते हैं ग्रौर उनके संरक्षण की ग्रावश्यकता पर बल दिया जाता है । इन समारोहों में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सचित्र प्रदर्शनियां ग्रौर प्रतियोगिताग्रों का ग्रायोजन किया जाता है । ग्राज इस बात की ग्रावश्यकता है कि लोगों के मन में वन्य प्राणियों के प्रति सहानुभूति पैदा की जाए । वन्य प्राणियों के प्रति बहुत दिनों तक उपेक्षा बरती जाती रही है । यह खुशी की बात है कि ग्रब वन्य प्राणियों के बारे में लोग जागरूक होने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी नई पीढ़ी इसमें पर्याप्त रुचि ले रही है।

यह बड़े खेद की बात है कि हमारे देश में सौन्दर्य, ग्लैमर ग्रौर कला की रक्षा के लिए प्रति-वर्ष लगभग पांच करोड़ वन्य प्राणियों की हत्या कर दी जाती है । इन वन्य प्राणियों में फर वाले जानवर, जैसे मिंक, भालू, लोमड़ी, गिलहरी, भेड़िया तथा ऊदबिलाव शामिल हैं । यह सब फैशन, चमक-दमक ग्रौर ग्रात्म-प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है । इनकी खाल के कपड़े बनते हैं, जिनमें से कुछ विदेशों में भेजे जाते हैं ग्रौर कुछ यहां के लड़के-लड़कियां पहनते हैं। मेरा भारत सरकार से ग्रनुरोध है कि इस पर रोक लगानी चाहिए ।

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

उड़न गिलहरियां बहुत सुन्दर और अजीब जानवर हैं। इनकी संख्या बहुत लिमिटेड है और ये सारे में बहुत कम पाई जाती हैं। राजस्थान के सीताबाड़ी जंगल में अब सिर्फ 8 उड़न गिलहरियां बची हैं। उत्तर भारत में सिर्फ यही एक ऐसा जंगल है जहां उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। सरकार इनकी संख्या बढ़ाने के लिए ठोस उपाय करे।

यह खुशी की बात है कि राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में देश का प्रथम मरु-उद्यान बनाया जा रहा है। इस मरुभूमि में चिंकारा, भेड़िया, मरु-बिल्ली, रेगिस्तानी लोमड़ी, गोह तथा रेत की मछली जैसे दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं और पक्षियों में बाहे, तिलोड़, सारस, टोनी, चील, शिकरे, कुंजे और उकाव प्रमुख हैं। इन पशु-पक्षियों को इस मरु-उद्यान में संरक्षण मिलेगा।

काले हिरण का अस्तित्व एक तरह से खत्म होता जा रहा है। इनकी संख्या किसी जमाने में काफी थी, लेकिन अब वह नाम मात्र की रह गई है। एक सर्वेक्षण के अनुसार काले हिरण तेजी से विलुप्त होते जा रहे हैं। इनकी सुरक्षा एवम् पालन-पोषण के लिए राजस्थान का जोधपुर क्षेत्र बहुत उपयुक्त है। मेरा सुझाव है कि इन क्षेत्रों को सुरक्षित घोषित कर दिया जाए और काले हिरणों के आराम से रहने के लिए बाहरमासी तालाबों के अलावा और भी तालाबों तथा खाइयों का निर्माण कराया जाए।

शेरों तथा बाघों की संख्या में भी दिन-प्रति-दिन कमी होती जा रही है। इसका कारण यह है कि वनों का क्षेत्रफल कम हो रहा है। जैसा कि मेरे बहुत से साथियों ने कहा है, बड़े पैमाने पर वन काटे जा रहे हैं। जिससे कि जंगली जानवरों को भी मारा जा रहा है। अनधिकृत रूप से उनका शिकार भी किया जाता है। इस समय हमारे देश में बाघों की कुल संख्या तीन हजार के करीब है और शेरों की संख्या 2500 के करीब रह गई है। इनके शिकार पर रोक लगनी चाहिए।

बाघ वैसे तो भयंकर जानवर होता है लेकिन चूहे हमारी फ़सल का 15 प्रतिशत भाग हर साल नष्ट कर देते हैं। सांप का आहार होता है चूहा। सांप चूहों को खाते हैं। सांपों को पालने के लिए, उनके संरक्षण के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए और उसकी कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि चूहों को समाप्त करके खाद्यान्न को बचाया जा सके।

इसके साथ-साथ दुर्लभ पक्षियों, जैसे गोडावण आदि को मारने पर कड़ी सज़ा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस पक्षी की 10–15 जातियां ही देश में बची हैं जिनकी संख्या एक हजार से अधिक नहीं होगी। भरतपुर जैसे विश्वविख्यात घने पक्षी विहारों की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए। दूसरे राज्यों में भी इस तरह के पक्षी बिहारों की स्थापना होनी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि आजकल देश के चिड़ियाघरों में जो पशु-पक्षी पाले जाते हैं उनको उचित आहार नहीं दिया जाता है, उनकी डाक्टरी

जांच नहीं कराई जाती है, उनकी चिकित्सा का उचित प्रबन्ध नहीं किया जाता है जिससे कि उनकी तन्दुरुस्ती खराब रहती है। मेरा सरकार को सुझाव है कि चिड़ियाघरों, संग्रहालयों और इसी प्रकार की संस्थाओं की संख्या बढ़ाई जाए और उनके मेण्टिनेन्स पर अधिक ध्यान दिया जाए। समय-समय पर उनकी डाक्टरी जांच कराई जाए और उपयुक्त चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। हर वन्य प्राणी की खुराक के मुताबिक उसकी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए।

चिड़ियाघर बच्चों के मन को बहलाते हैं। जो वनों में आकर जानवरों को नहीं देख सकते हैं उन के लिए उन जानवरों को चिड़ियाघरों में पाला जाता है। अतः उन जानवरों तथा पक्षियों की मेन्टिनेन्स पर, उनकी चिकित्सा पर और उनकी खुराक पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं तथा आपका आभारी हूं कि आपने बोलने के लिए समय दिया।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, इस सदन में जो वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह किसी प्रकार से भी कान्ट्रोवर्शल नहीं है। लिहाजा जो अमेन्डमेंट आप करना चाहते हैं वह एक बहुत ही अच्छा काम है जिसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन अभी जो ऐक्ट बना हुआ है—वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऐक्ट, 1972—आप मेहरबानी कर के बताइये कि इसके सेक्शन (51) के अन्तर्गत आजतक कितने आदमियों की सजा हुई है। क्या आप ऐसे ऐक्ट बनाकर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की अलमारी में सजाते हैं या उनको लागू भी किया जाता है?

आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वार्डेंस के घरों में जाकर उनके ड्राइंगरूम्स को देखिए—अब राजेमहाराजे तो चले गए—लेकिन वे वार्डन या उस डिपार्टमेंट के दूसरे अफसर बड़े अन्दाज से बताते हैं कि हमने इन जानवरों का शिकार किया है। आपने उनके हाथों में बन्दूकें दे दी हैं। आप उनके फोटो देखें, वे मरे हुए चीते पर पांव रखे हुए और मूछों को ऐंठते हुए दिखाई देंगे। वे स्वामीनाथन साहब को बताते हैं कि हम आप के जानवरों का शिकार करते हैं और हम बहादुर लोग हैं और वे ही लोग ऐसे बोर्डों के मेम्बर बन जाते हैं। अब इस की क्या तारीफ की जाए। होता क्या है कि कानून बनाते चले जाओ दो लाईन का कानून बना दिया ताकि स्वामीनाथन साहब को बोलने का अवसर मिल जाये। आप को मालूम नहीं कि कानून बनने के बाद क्या होता है। मैं एक आर्टीकिल पढ़ रहा हूं और वह एक बहुत बड़ा आदमी है, जिस ने आर्टीकिल को लिखा है। सभापति जी, आप सोचेंगे कि यह बातें कौन करता है। उस ने कहा है:

Our Wild Life: A great legacy dissipated.

तो मेरा ख्याल है कि हमारे मंत्री जी जान गए होंगे कि यह एम० कृष्णन कौन हैं। उन्होंने लिखा है:

17 hrs.

It follows inescapably that by their permissiveness our Government have been the chief depradators of our wild life.

जो बाड़ होती है वही खेत को खा जाती है। जो इन जानवरों को मारने वाले हैं वे ही कहते हैं कि हम इन की रक्षा करेंगे। इतने सारे फीगर्स इन्होंने दिए हैं हैं। मैं आप को एलस्ट्रेटेड वीकली में

[श्री मूल चन्द डागा]

जो 1989 में एक आर्टीकिल निकला है, उसको पढ़ कर सुनाता हूं:

All our wild life habitats (including all preserves) are solely in charge of our various Governments. Naturally, then, the responsibility for protection is entirely theirs, and even otherwise, only Governments have the sanction necesary for protection. It follows inescapably, that by their permissiveness, our Governments have been the chief depradators of our wild life.

जो खुद मारने वाले हैं, उनको ही आप ने तरह तरह की पावर्स दे रखी है। यह क्या बिल ले कर आये हैं। इस में चीफ वार्डन को इतनी ज्यादा पावर्स आप ने दे दी हैं। इस के अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि छठी फाइव इयर प्लान में उन्होंने 12 करोड़ रूपये रखा है। अब वह रूपया किस के लिए रखा है, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन इतना ही मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप यह बताइए कि आप ने इस में जो एक नई संस्था बनाने की बात की है ताकि वह इस पर रिसर्च करे, उस के लिए कुछ कदम उठाया है या नहीं उठाया है?

Government is finalising the proposal to set up a Wild Life Institute.

छठी पंचवर्षीय योजना में एक इंस्टीट्यूट बनाने की बात आप ने कही है, जिस के लिए 10 लाख रुपया आप ने रखा है। यह इंस्टीट्यूट एगजिस्टेंस में आ गई है और काम करने लगी है या नहीं? ढाई साल बीत गए हैं और अभी तक यह बनी है या नहीं। इसके मेम्बर कौन आप ने बनाये हैं यह भी आप बताये।

एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत से राजा-महाराजा जो हैं, एक्स-रूलर्स हैं। वे ही इस के मेम्बर बनते हैं और वे ही जानवरों का ज्यादा शिकार करते हैं उन के लड़के ही ज्यादा शिकार करते हैं। जब आप ने यह बिल पेश किया, तो उस में आप ने क्या लिखा है?

"No licence referred to in sub-section (1) shall be granted unless the Chief wild Life Warden or the authorised officer having regard to the antecedents and previous experiences of the applicant, the implication which the grant of such licence would have on the status of wild life and to such other matters as may be prescribed in this behalf and after making, such inquiry in respect of those matters as he may think fit, is satisfied that the licence. should be granted."

क्या आप एन्टीसीडेंट्स जानगे कि शिकार करने लायक कौन आदमी है। जो आदमी डेडीकेटेड है और जिस के मन में अहिंसा की भावना है, करुणा है और जानवरों के प्रति प्रेम है, उस को ही ऐसे बोर्डों का मेम्बर बनाना चाहिए। आज होता क्या है कि जो लोग जानवरों का शिकार करते ह वे ही मेम्बर बन जाते हैं और आप क जानवर बहुत कम हो गए हैं। जो बैस्टार्ड हमारे जैसलमेर में थे, उनकी संख्या कम हो गई। साउथ अरेबिया से प्रिंस आ गए और हमारे यह बैस्टार्ड कम हो गए। फिर आप यह देखिये कि ब्लू लेपर्ड कम हो गए, राइनों कम हो गये और इस तरह से बहुत से जानवर कम हो गये हैं और आप इन की संख्या कम न होने के लिए पैसा खर्च करते हैं। क्या होता है, उस पैसे का? मुझे दुःख होता है कि सम्पूर्ण भारत में 1930 में जहां बाघों की संख्या 40 हजार थी, वह 1962 में में घट कर 3 हजार रह गयी। बाघ योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण से पता

चला है कि 1962 में 1 हजार 8 सौ 26 बाघ रह गए थे। यह काम आप करते हैं।

ये जो आप ने पार्क बना रखे हैं, आपकी नम्बरलेस सेंक्चुरी हैं। आपके 23 नेशनल पार्क्स हैं 205 सेंक्चुरीज हैं। आप यह फरमाइये कि यह जो कानून आप एक लाइन का लेकर आये हैं और सैक्शन 11 और 12 में आप अमेंडमेंट कर के क्या कोई बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं? आपके जंगल रहे नहीं हैं। आपके कानून बनते गए। जंगल आपके कम होते गए। ज्यों ज्यों आपने कानून बनाये त्यों त्यों जंगल कम होते गए ज्यों ज्यों दवा की, त्यों त्यों मर्ज बढ़ता गया।

हम किसी भी पहाड़ पर जायें। माउंट आबू पर जाए। वहां पहले जहां हम जंगल देखते थे वहां अब बंगले दिखाई देते हैं। बड़े बड़े साहब लोगों के बंगले बन गए हैं। कहां हैं आपके जंगल? जब आप कानून बनाते हैं तो उन पर सख्ती से अमल नहीं करते। जो लोग उनके खिलाफ काम करते हैं उन्हें प्रोसीक्यूट नहीं करते। जब हम आप से पूछते हैं कि आपने कितने लोगों को प्रोसीक्यूट किया तो आप यह कह देते हैं कि यह स्टेट वालों का काम है। केन्द्र के मंत्रियों के पास यह बड़ा अच्छा उत्तर है। जब केन्द्र वाले कानून पारित करते हैं, उसके बाद यह उत्तर दे देते हैं कि साहब स्टेट वाले आगे नहीं बढ़ते।

मैं पूछता हूं कि किस-किस स्टेट ने आपके इसके बारे में रूल बनाये हैं? आप राजस्थान वालों के रूल्स पढ़े। किसी स्टेट ने रूल नहीं बनाये हैं इस वाईल्ड लाइफ प्राटेक्शन एक्ट के अन्दर। आप स्टेट्स को पावर डेलीगेट कर देते हैं लेकिन कोई स्टेट उनके अधीन कानून नहीं बनातीं। आप नये नये कानून बनाते जाते हैं लेकिन यह चैक नहीं करते कि स्टेट्स ने कानून बनाये हैं या नहीं। आपके ला डिपार्टमेंट को यह चैक करना चाहिए।

अगर आपने जंगलों को बचाना है या वाईल्ड लाइफ को बचाना है तो मेहरबानी कर के आप सख्ती करो। इसके अन्तर्गत आपकी कोई सख्ती नहीं है, कोई इम्प्रीजनमेंट नहीं है। आपने जुर्माना रख दिया है। कोई भी जुर्माना दे कर छूट सकता है। आपके इरादे मजबूत होने चाहिए।

यह बिल तो पारित हो जाएगा। मेहरबानी कर के इस बिल के पारित होने के बाद आप पक्के इरादे से इसको लागू करें। अगर आपके किसी कानून पर अमल नहीं होता है तो आपकी लंगड़ी व्यवस्था है। आप मजबूती से जब तक काम नहीं करते तब तक आपका कानून मखौल हो जाता है।

मंत्री जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वे कभी जू में जा कर देखें कि वहां जानवरों की क्या हालत है। उनको अपनी आंखों से देखें। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतना भ्रष्टाचार है कि जानवरों को खाना नहीं मिलता। आप जरा जू में जाकर जानवरों की हालत देख आया करें। आपको पता लगेगा कि कितना भ्रष्टाचार है।

सभापति जी, चूंकि आपकी घंटी बज गयी है, इसलिए मैं समाप्त करता हूं।

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR (Ratnagiri): Mr. Chairman, Sir, this is a very small Bill in which two Sections are going to be amended.

[Shri Bapusaheb Parulekar]

Sir, there is nothing to which I can object. Therefore, I support this measure which the Government has brought before this House. But taking this opportunity, I would like to make a few suggestions and request the Hon. Minister to clarify certain positions which raise certain doubts in the minds of many of our Hon. colleagues.

Coming to the Bill proper, Clause 12 is being amended and Section 12 is being amended by Clause 2. And in the Explanation, in addition to 'scientific management' the word 'scientific research' is being added. Now, while doing so, you have given the definition by way of explanation as to what the Government means by scientific management. But at the same time the Government has not defined what exactly it means by scientific research. Now, in both we find the word 'scientific'. In general parlance we know the meaning of the word research and we also know the meaning of the word management. However, the Government felt the need of defining scientific management, but has not refined 'scientific research'. I would, therefore, request the Hon. Minister to tell this august House what exactly does the Government mean by 'scientific research' *vis-a-vis* this particular Bill. The reason why I say so is this. Do you really mean this scientific research is only for the purposes of research of the wild life? To illustrate this, I can say some medicines are prepared out of the poisons from serpents and surpeno tablets and serpeno injections are prepared which are beneficial for human-beings. Supposing some virus or something is made available which the scientists feel can be made useful for the development of human life, do you mean that is included in this scientific research or you are restricting the meaning of the scientific research only for the purposes of research of the wild life? That is not made clear. Supposing tomorrow I hunt a tiger and I prove in a court of law, if I am prosecuted, that I am trying to take out fat from tiger from which I can prepare a medicine, I can prepare injection, I can prepare some tablets, will I be acquitted because I would say it is scientific research? So, either define it or add the word 'scientific research for the purposes only of wild life'. That will make the position very clear. And when you have defined scientific management, but have not defined scientific research, we are in the dark. I would, therefore, request the Hon. Minister to give a thought to it.

Another thing to which I would like to invite the attention of the hon. Member is that in this parent Act there is Section 65, which recognises the right of hunting, by those tribals only on Nicobar Islands; why not this right to be given to these tribals who live in the hills of the mainland, but face tigers day in and day out? Why this discrimination? Therefore, I would like to know from the Hon. Minister, whether provisions of the Section 65 of this Act, will be extended to the tribals who face this wild life every moment? I would say a clarification on this point may be given.

Sir, I am in total agreement with the views expressed by Prof. Ram Singh and Prof. Chaturbhuj. We are trying to protect the wild-life, but are you going to give priority to the protection of wild-life *vis-a-vis* the protection of human life? I do not mean to say that wild life? shuld be extinct from the globe or from our country, but there are certain provisions which *prima-facie* show that the Government is givin priority to the protection of the wild life. For example there are certain wild animals, who destroy the crop. Shri Ram Singh said that they destroy the crops. But there is no protection for that. There is Section 11 which mentions the exemption and which says the killing or wounding in good faith of any wild animal in self-defence of oneself or any other person shall not be an offence. If a tiger jumps on me, I can shoot him. But if tiger or an elephant destroys the whole crop, I cannot kill the tiger, I cannot kill the elephant. That right has been given to the human beings under the Indian Penal Code. If a person tries to destroy the life of a human being or the person tries to destroy the property of the human being then that particular person, whose life is being destroyed, or whose property is being destroyed, gets a right to the extent of killing him. But here only if a tiger jumps on you, then alone you get a right to kill it. If the elephant kills

you, or is on the verge of killing you, you can kill the elephant; but if an elephant is destroying the entire crop which an agriculturist has raised by sweat, toil and everything, there is no protection

Section 51 provides a punishment of maximum two years; and if the category of animals be included in category one, the minimum punishment is six months. So, that human being will be sentenced to a minimum of six months rigorous imprisonment, if he kills, that means if he hunts, as the definition goes, an elephant or a tiger which is destroying the crops which he has raised by working hard day in and day out for so many months. I would request the Government to consider this aspect.

The second point to which I would like to invite the attention of the hon. Minister is this: what do you mean by protection of oneself? I would like to submit an example to this august House. In the last General Elections, I was campaigning, and travelling by a jeep in the *ghats*. We saw a tiger crossing. The driver of the jeep took the car towards the tiger and ran down the tiger. The tiger died. The driver was prosecuted, and the driver was convicted. Do you know why? Because Section 17 says that no person shall hunt any wild life from or by means of a wheeled or a mechanically-propelled vehicle. So, we cannot expect that the tiger will come our way. We saw a tiger sitting on the road. In order to save our lives, the driver killed the tiger. The driver was convicted and the learned magistrate was in a dilemma, because the minimum punishment was six months; and the gentleman driver had to go to jail because the provisions were mandatory.

Don't you think that Section 11 needs an immediate amendment? Will you consider this aspect?

The protection that has been given in Section 11-12 is totally insufficient. You now say that you must take permission from the Chief Warden of the State who stays in the State capital. At a remote place, a tiger comes; it will destroy your field. But then you have to run to the capital, meet the Chief Warden, convince him that this is the position; and then he will make enquiries, send his officers to see whether it is so. Ten days, 15 days or even one month will pass, and then he will give you permission to go and kill the tiger. But if the tiger comes in and destroys the *fasal* and if I kill it, I will go to jail for six months. This is the present law. I would, therefore, urge the hon. Minister and Government to consider the entire aspect and bring a comprehensive Bill, so that the lives of the wild life is protected and the human life is also protected. And in case there is any conflict between protecting human life, human property, and the *fasal* on the one hand, and the wild life on the other, I feel that we will have to give priority to the protection of human life.

With these words, I support the Bill but would earnestly urge that these points should be seriously considered; and that Government should come before this august House with its amendments on these particular points.

MR. CHAIRMAN: The time allotted for this Bill is only 1-1/2 hours. There are more members who want to speak. What is the sense of the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): We can extend the time.

MR. CHAIRMAN: How much?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): By six O'Clock, it should be over.

MR. CHAIRMAN: Mr. Zainul Basher will take only five minutes.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: Are we going to take that resolution? We have an important function to attend. Everybody is interested to go there. We request the hon. Minister to consider Prof. Rangas felicitation.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: The discussion has to take place after 6 P.M.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: We are requesting you to consider it.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I have no objection if it could be postponed. I do not stand in the way. But it has been listed in the business.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: You can keep it tomorrow.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Tomorrow I will not be able to say anything.

SHRI BAPUSAHEB PARULEKAR: I have brought it to your notice that we have to go there.

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : सभापति जी, यह जो बिल ग्राज हमारे सामने है, उसके महत्व के बारे में दो राय नहीं होनी चाहिए। ग्राज वाइल्ड लाइफ से बहुत से जीव-जन्तु चिड़ियां, परिन्दे लुप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, बहुतों में कमी ग्राती जा रही है। इस दृष्टि से उनको सुरक्षा प्रदान किया जाना, ताकि उनकी नस्ल समाप्त न हो जाए, यह बिल ठीक प्रतीत होता है।

इसके साथ ही साथ हम लोगों को यह भी देखना होगा कि मनुष्य का जंगलों, जानवरों, जीव जन्तुग्रों, पक्षियों के साथ बहुत पुराना सम्बन्ध है। जब से यह दुनिया कायम है, तब से मनुष्य ग्रौर जंगल एक दूसरे के बहुत ही करीब रहे हैं। जब खेती का विकास नहीं हुग्रा था, उस समय से भी मनुष्य की जीविका जंगलों के ऊपर ही ग्राधारित थी। उस समय से मनुष्य जंगली जानवरों का शिकार करता रहा है। वह जंगलों से फल ग्रौर जड़ी-बूटियां खा कर ग्रपना जीवन व्यतीत करता था।

जब भी किसी प्रकार का बिल हम लायें तो हमको इस व्यवहारिकता को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ग्राज भी करोड़ों लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनका जीवन जंगलों पर ग्राधारित है। करोड़ों लोग, विशेषकर ग्रादिवासी लोग, जैसा हमारे मित्र रामसिंहजी ने बताया, जो जंगलों के पास रहते हैं, वह ग्राज भी जंगलों पर ग्राधारित हैं। ग्राज उनकी जीविका बन्द हो रही है, उस पर कुठाराघात हो रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो जीव-जन्तु लुप्त हो रहे हैं पक्षी समाप्त हो रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाये, प्रोटैक्शन दिया जाये, लेकिन साथ ही साथ बहुत से जीव-जन्तु हैं, पक्षी हैं जो बहुत बड़ी संख्या में हैं। ग्रभी उनके समाप्त होने का कोई डर नहीं है। बहुत से लोग उन पक्षियों को पकड़ते हैं ग्रौर उन्हें बाहर भेजने का काम भी होता है। हमें उनसे करोड़ों डालर की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जो जीव-जन्तु ग्रौर पक्षी बड़ी संख्या में हैं, मनुष्य को उनका उपयोग करने का ग्रधिकार मिलना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जब भी वह इस बारे में कोई काम्प्रिहेंसिव बिल लायें, तो वह उसमें इस बात को ग्रवश्य ध्यान में रखें।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय मैं सिर्फ़ एक सवाल उठाना चाहता हूं। वन्य प्राणियों की रक्षा की जाए इससे किसी को एतराज नहीं हो सकता, ग्रौर न होना चाहिए, लेकिन वनवासियों, ग्रादिवासियों ग्रौर ग्रादिम जन-जतियों के ग्रधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि वन्य प्राणियों चिड़ियों, चुनमुनों की तो

रक्षा की जाये, लेकिन आदमी और उसके अधिकारों की रक्षा न की जाए।

आप जानते हैं कि बिहार में भी काफ़ी बड़े क्षेत्र में जंगल हैं, हजारीबाग राची, सिंहभूम और पालामू में, और सौभाग्य है कि पालामू के दो मंत्री इस सदन में हैं। इन इलाकों में लाखों की संख्या में वनवासी या आदिवासी रहते हैं। उनके कुछ परम्परागत अधिकार रहे हैं। उन अधिकारों में एक अधिकार साल में कम से कम एक दिन आखेट करने का अधिकार है। इन कानून के मुताबिक सरकार उनसे इन अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। आदिवासियों की जमीन चली गई। उनके धन सम्पत्ति की रक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उनके ऊपर तरह-तरह के अत्याचार सामंती किस्म के सूदखोरों के होते रहते हैं। उनसे तो हम उनकी रक्षा नहीं कर पाते, लेकिन अगर वे साल में एक दिन आखेट करने के लिए जाते हैं, तो हम एक कानून बना कर उनको सजा देंगे।

सरकार वन्य जन्तुओं की रक्षा करे, लेकिन इन आदिवासियों के जो परम्परागत अधिकार हैं, जो उन्हें आज से नहीं, सदियों से प्राप्त हैं, उनके बारे में सरकार का क्या कहना है? क्या सरकार उन की रक्षा करेगी या नहीं? अगर वह ऐसा नहीं करेगी, तो आदिवासियों में यदि एक बार आन्दोलन शुरु होता है, तो वह भंयकर रूप धारण कर लेता है।

मैं एक पक्षी का जिक्र करूंगा, जिसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। वन्य जन्तुओं में से एक नीलगाय भी हमारे यहां बहुत होती है और वह फ़सलों को बर्बाद कर देती है। पता नहीं, सरकार उनकी रक्षा करेगी या नहीं।

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : आपकी क्या राय है?

श्री रामावतार शास्त्री : मेरी राय है कि फ़सल की रक्षा हो, उनकी रक्षा हो या न हो। अगर आप उनको बचाना चाहते हैं, तो पहले हमारी फ़सल को बचाने की व्यवस्था करें। कबूतर शान्ति का प्रतीक है। इस शान्ति के प्रतीक को बचाना चाहिए। लेकिन सब लोग उसे मार कर खा जाते हैं। उन में मैं भी हूं सारे नान-वेजीटेरियन लोग हैं। यह जान कर कि वह शान्ति का प्रतीक है, दिल में तकलीफ होती है। तो इस पक्षी की रक्षा करने की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। शान्ति की बात तो हम सभी लोग करते हैं। इसलिए शान्ति के प्रतीक उस पक्षी की भी रक्षा होनी चाहिए। तो मेरी यही मांग है कि आदिवासियों के परम्परागत हकूक जो चले आ रहे हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए तथा उसके अतिरिक्त इन बातों की तरफ भी आपको विचार करना चाहिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति महोदय, जंगली पशुओं की रक्षा का उद्देश्य बड़ा अच्छा है। इस सदन में हरिजन, किसान, आदिवासी मजदूर या सरकारी कर्मचारियों के संबध में चर्चा करने में तो दिक्कत होती है लेकिन जंगली जानवरों के प्रति जो भाव यहां पर प्रदर्शित किया गया वह वास्तव में सराहनीय है। मैं केवल दो-तीन बातों की ओर ही आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

[जयपाल सिंह कश्यप]

इस विधेयक के द्वारा एक संशोधन करना बड़ा आवश्यक है वरना इस कानून का बड़ा दुरूपयोग किया जाएगा, बेगुनाह लोगों को सताया जाएगा, उनको सजा मिलेगी। फसलों की सुरक्षा करना ही बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ भेड़िये लक्कड़-बग्घे और शेर आकर किसानों की गाय और बकरियां उठा ले जाते हैं। इस संबंध में भी इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि उनको मारने वालों की रक्षा को जा सके। इसलिए इस विधेयक के द्वारा इस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि उसका कोई दुरूपयोग न हो सके। अच्छे तरीके से गाइडलाइन्स भी तैयार की जानी चाहिए ताकि दुरूपयोग होने की संभावना न रहे। बस इतना ही कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

17.32 hrs.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): Mr. Chairman, I am very grateful to all the hon. Members on this side and that side because every one has supported the Bill. This Bill has been brought only for a specific purpose. Before 1972 there was no Central Act on Wild Life. Only the States had their own Acts. In 1972 the Parliament enacted the Wild Life Act and after 1972 almost all the States had enacted legislation on the basis of this Act except Jammu and Kashmir where they have got a similar Act which they had passed according to the conditions there. Recently, a few months ago, the last State to pass this Act was Nagaland.

One hon. Member, Prof. Ajit Kumar Mehta, referred to the tiger being destroyed. He said the number of species of tiger is going down and it is dangerous to the tiger because it is being extinct. It is wrong. In the year 1972 the tiger population was 1827. In 1977 the tier population was 3050. That means the number is increasing. Now, if you take the census, it will be more than 3000. Therefore, that apprehension is unfounded. He need not have any fear.

Many hon. Members, especially Members from Rajasthan referred to deer being there and a large number of deer are there in the deserts, it is causing havoc to some people. Some people said that they will be transferred. According to the present Act, no one can touch an animal under Schedule I of the 1972 Act. Now we are thinking of permitting the act to translocate some animals for the purpose of scientific research and management. For instance, in Arunachal Pradesh, Assam and other States they are complaining that too many elephants are there. These elephants are causing havoc and are perhaps harassing the people there. Elephants are creating havoc and destroying cultivation and people. These are dangerous animals. That is why, if you want to transfer some animals, you could do it.

But, according to the Act, you cannot do it now. We cannot touch any animal. It is a very important item which has been mentioned.

Shri Mool Chand Daga spoke about tiger.

(Interruptions)

SHRI R. V. SWAMINATHAN: He is not here. He said people are hunting and crimes are being committed. Nobody is touched. No action has been taken and they go scot-free and so on.

I would like to mention that in the year 1980 we took up as many as 3,913 cases. Out of this, about 2,034 were dealt with departmentally and 93 were acquitted by the courts and some cases are still pending. 610 cases were convicted.

In the year 1981, as many as 3,017 cases were taken up. Out of this, 1,604 cases were dealt with departmentally and about 513 cases have been convicted.

Therefore, we are not leaving. We are taking action.

One Hon. Member mentioned that Chief Minister's brother or some Raja is going and hunting.

Whether he is a Raja or Maharaja or the greatest person, he will be punished. Nobody will be spared. If any Hon. Member can give specific instance, we can take action against that person. Even though he has hunted animals, we can still take action against that person. That is also not proper and we are taking action.

Shri Bapusaheb Parulekar wanted to know what is meant by scientific research. Scientific research is a meaningful word. Scientific research means scientific research.

There is one point. When the Act was passed in 1972....

AN HON. MEMBER: I request the Government to ban the gun licences that are being issued to individuals. The very purpose of issuing gun licence is to hunt in the forests. So, it should be withdrawn.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: When the 1972 Act was passed, time was fixed. After the commencement of the Act, within 15 days, people should apply for licences to deal with animals whether for animal skin or any such thing. Some people have applied. After that period, nobody can apply now. Even Bharat Leather Corporation, who are dealing in hydes and skins cannot apply for licence because according to the Act of 1972, within 15 days, licence should be applied for.

That is why, we are now removing that 15 days period limit and now anybody or any reasonable person will be given licence.

These are the important points we are contemplating.

Hon. Members suggested many points. We welcome them. We are contemplating to bring a comprehensive Bill on wild life before this House and we are considering the Bill.

In that Bill, all the suggestions of Hon. Members will be included.

With these words, I commend the Bill to the House.

SHRI K. T. KOSALRAM: One point, Sir. I have already given a representation to the hon. Minister, Shri Swaminathan, on this. In my constituency there is a project called Pachaiyar Dam Project at Kalakkadu. There are some special breeds of monkeys there, but those monkeys are above 6,000 feet. The dam is to be constructed at 3,000 ft. In the name of protecting these monkeys, this dam is not being constructed. The construction of dam is necessary in the interest of irrigation. For this Rs. 6-crore project, the foundation stone was laid by the former Chief Minister of Tamil Nadu, Shri Karunanidhi. But now it has been stopped. I want to know whether Government can exempt this kind of thing.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: The hon. Member has given a representation. We are examining that, and whatever is possible, we will try to do, to help the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to amend the Wild Life (Protection) Act, 1972, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2—(*Amendment of Section* 12)

DR. VASANT KUMAR PANDIT (Rajgarh): Sir, I beg to move:

Page 1,—

omit line 11. (3)

Page 1, line 12,—

for "(bb)" *substitute* "(b)" (4)

Page 1, line 18,—

after "animals" *insert*—"or birds" (5)

As far as the application for licence is concerned, the intention of the Government is not very clear and this will lead to lot of complications and corruption. In the principal Act, it was 15 days before the commencement of the Act. Why are Government now finding it difficult? I would like to know how many people dealing in Trophy and animal parts are at present licensed and why was this sudden need felt by them to come forward with this piecemeal amendment.

Wild life and forestry has been a neglected subject although the Prime Minister constantly says that she is concerned about it. Unless Wild Life and Forestry is made a separate portfolio under separate Ministry and is taken away from agriculture Ministry this important subject will not get its due and much-needed attention.

In this, Government has stated one reason for which I congratulate them. They have said 'for scientific management'. This is the modern technology for dealing with wild life. But as far as "scientific research" is concerned, the hon. Minister should try to give some reply; it would be better if he defines the term 'scientific research'.

I will speak later about my other amendments

SHRI R. V. SWAMINATHAN: I cannot accept these amendments. The hon. Members says that there must be a separate Minister for wild life and forestry. The Prime Minister is very much interested in this matter. The Wild Life Board is presided over by the Prime Minister; she is the Chairman of the Wild Life Board. Also the subject of wild life and forestry is already separated and I am looking after that; though I am a Minister of State in the Ministry of Agriculture, I am looking after that. I think, the hon Member's wish is fulfilled. I oppose his amendments.

MR. CHAIRMAN: I will now put the amendment moved by Dr. Pandit to vote.

Amendment Nos. 3 to 5 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.
Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3— (*Amendment of Section* 44)

DR. VASANT KUMAR PANDIT: Sir, I beg to move:

Page 2,—

for line 10 and 11, *substitute*—

(a) in sub-section (3), for the words "fifteen days" the words "forty-five days" shall be substituted;' (6)

Page 2, lines 16 and 17,—

omit "the antecedents and previous experience of the applicant," (7)

Page 2, line 19,—

for ", such" *substitute* "full" (8)

Page 2, line 20,—

omit "as he may think fit" (9)

Page 2,—

for lines 10 and 11, *substitute*—

'(a) in sub-section (3), for the words "within fifteen days from the commencement of this Act", the words "within thirty days prior to the commencement of his business" shall be substituted;' (14)

Page 2, line 15,—

after "granted" *substitute*—
"for the period of thirty days".(15)

As far as the original section 44 is concerned, may I draw the attention of the Government to one thing. You have now given full authority to the Chief Wild Life Warden. Will it not be proper that you should give this authority to the Chief Conservator of Forests? The responsibility put on him to investigate the antecedents, previous experience of the applicant, to

find out his history, to find out his viability is very onerous. He does not have the wherewithal and the staff to find out all these things. Not only that—you say 'or by the authorised officer'. Authorised by whom? Is he authorised by the Government or by the Forest Minister or the Chief Wild Life Warden? So there is a big lacuna. Who has authorised whom? He may ask some lower officer under him to do and that will give scope for corruption. Already there is a lot of smuggling going on and foreign exchange is involved. Therefore, we feel that this authority which you have now given to the Chief Wild Life Warden should be given to a higher officer, say, the Chief Conservator of Forests. Then who will be the 'authorised officer'? please explain?

Secondly, there is no time limit mentioned here for making the inquiry. You say 'such inquiry as he may thing flt'. So I put a time limit of 30 days Within 30 days he will have to carry out the investigation, get the report and then grant the licence.

Thirdly, I would like to know how many licence-holders are there to-day. I want to know why the Government does feel the need of licensing more persons. Then, Sir, the year of the Bill has to be changed to 1982.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: With regard to the changing of the year, we have already moved an amendment. Other amendments I cannot accept because I want to make. The wardens are also there. They are also senior officers. They are State officers—not our officers. The authorised officers will be appointed by the Government.

MR. CHAIRMAN: I will now put the amendments of Dr. Vasant Kumar Pandit to vote.

Amendment Nos. 6 to 9 and 14 and 15 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 1— (*Short title*)

Amendment made:

"Page 1, line 4,—

for "1981" *substitute* "1982" (2)

(R. V. Swaminathan)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

The Enacting Formula

Amendment made:

"Page 1, line 1,—

for "Thirty-second" *substitute*—"Thirty-third". (1)

(R. V. Swaminathan)

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That The Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Title was added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: You may now move that the Bill, as amended, be passed.

SHRI R. V. SWAMINATHAN: I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN: Mr. Verma, do you want to speak?

SHRI R. L. P. VERMA (Kodarma): Yes, Sir.

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, में दो, तीन बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं इस बिल से असहमत नहीं हूं । वन्य पशुओं और पक्षियों की सुरक्षा की जाय । लेकिन साथ-साथ इससे होंने वाले नुकसान के ऊपर भी सरकार को नजरंदाज नहीं करना चाहिये । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं हजारीबाग का नेशनल पाक है वहां प्रति वर्ष वन्य जीवों द्वारा आसपास के किसानों की लाखों रु की फसल बरबाद होती है । उसके लिये सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की । गत वर्ष 26 बच्चों को बाघ और भेड़िये उठा कर ले गये और इस वर्ष भी अब तक 8 बच्चों की वन्य जीवों द्वारा हत्या हुई है । अगर इस दिशा में सरकार ने सुरक्षा के लिये विचार नहीं किया, और जिस तरह विधेयक में प्रावधान किया है, मुख्य वन्य जीव संरक्षक जिसे चाहे आखेट करने का या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये अनुमति देगा, इस प्रक्रिया को सरल कर दिया है राज्य सरकार से बिना राय के यह कर लेगा तो यह भी ठीक नहीं होगा । सरकार ने यह भी नहीं बताया जो ट्रौफी और वन्य वस्तुओं का व्यापार करने वालों को छूट देने की बात है, बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो इस तरह का व्यापार करते हैं और जीवों को मारते हैं । उस प्रक्रिया को भी आपने सरल कर दिया है । जो अभी तक बन्द था ।

17.53 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं उनका परम्परागत अधिकार है कि साल में एक बार आखेट करने का । अगर उनका यह अधिकार छीना जायगा तो इससे गिरिजनों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा और इसके विरोध में भयंकर अन्दोलन होगा । रांची में इसके लिये प्रदर्शन जलूस चल रहा है । तो सरकार को काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिये, जल्दबाजी में लाइसेंस या परमिट देना ठीक नहीं होगा, जबकि अन्य लोगों के बारे में आपने विचार नहीं किया । यह बिल पूरे समाज के कल्याण के लिये नहीं है, एक तरफ़ा है । इसलिये सरकार को काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिये । किसानों और शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का, जिनका नुकसान होता है, उनके कम्पेंन्सेशन के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । कितने लोगों की फसल बरबाद हो गई, इसके लिये भी कोई उपाय नहीं किया है । मेरा सुझाव है कि जंगल के चारों ओर 10 फुट ऊंचा बार्वड वायर का फैंसिग होना चाहिये ताकि जंगल के जीव-जन्तु गांवों में न आ सकें ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह कानून जो लागू होगा, वह नेशनल फोरेस्ट जितने हैं, उन पर लागू होगा या सारे फारेस्ट पर लागू होगा ? आज देश का बहुत बडा भू-भाग जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिये मंत्री जी इसको नहीं बचा पायेंगे । मेरा निवेदन है कि इसके लिये एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाया जाये तभी उचित होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

SHRI R. V. SWAMINATHAN: May I reply to the hon. Member by saying this? The States are entrusted wih this work; they have to enforce the provisions of the Wild Life (Protection) Act, under the guidelines issued by the Central Government. Even now, as I told you, we are thinking of bringing in a comprehensive Bill. We will consider all your suggestions. I may inform you that compensation will be given if crops are destroyed. So, States will be coming forward and giving compensation also. I think I have replied to all the points raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.